समाहरणालय, मुंगेर।
(जिला पंचायत राज कार्यालय)
आदेश

संयुक्त निदेशक–सह–संयुक्त सचिव, पंचायती राज विभाग के पत्र सं0 – 02/पं0/बि–2–26/2014–16/प0रा0, पटना, दिनांक 11.09.2014 के द्वारा कुल 101 ग्राम पंचायतों को प्रशासनिक व्यय हेतु 4000/– (चार हजार) रूपये की दर से कुल 4,04,000/– (चार लाख चार हजार) रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त राशि से कागज, रजिस्टर, आलमीरा, दरी एवं कार्यालय व्यय में किया जायेगा। संयुक्त निर्देशक–सह–संयुक्त सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या – 05/पं0/योजना–1–013/2014/प0रा0/7383, पटना, दिनांक 23.09.2014 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 में मांग संख्या 16 एवं विपत्र कोड सं0–पी02515001980105 एवं योजना मुख्यशीर्ष–2515–अन्य विकास कार्यक्रम–उप मुख्यशीर्ष–00–लघुशीर्ष–198–ग्राम पंचायतों को सहायता–उप शीर्ष–0105–ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु के अन्तर्गत विषय शीर्ष–3106–सहायक अनुदान–वेतनादि के अलावा मद में ग्राम पंचायतों को प्रशासनिक व्यय के लिए 4000/– (चार हजार) रूपये की दर से कुल 4,04,000/– (चार लाख चार हजार) रूपये का आवंटन प्राप्त हुआ, जिसे निम्नांकित प्रखंड विकास पदाधिकारी को उनके नाम के सामने अंकित क्रमांक – 4 के अनुसार राशि का उपवांटन किया जाता है। उक्त स्कीम कोड पी0एन0आर0 – 5323 है।

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम	पंचायतों की संख्या	कुल आवंटित राशि
1	2	3	4
1	प्र0वि0पदा0, सदर मुंगेर	13	52,000.00 (बावन हजार रूपये)
2	प्र0वि0पदा0, जमालपुर	10	40,000.00 (चालीस हजार रूपये)
3	प्र0वि0पदा0, धरहरा	13	52,000.00 (बावन हजार रूपये)
4	प्र0वि0पदा0, बरियारपुर	11	44,000.00 (चौवालीस हजार रूपये)
5	प्र0वि0पदा0, हवेली खड़गपुर	18	72,000.00 (बहत्तर हजार चार रूपये)
6	प्र0वि0पदा0, टेटियाबम्बर	7	28,000.00 (अठाईस हजार रूपये)
7	प्र0वि0पदा0, असरगंज	7	28,000.00 (अठाईस हजार रूपये)
8	प्र0वि0पदा0, तारापुर	12	48,000.00 (अड़तालीस हजार रूपये)
9	प्र0वि0पदा0, संग्रामपुर	10	40,000.00 (चालीस हजार रूपये)
	कुल –	**101**	**4,04,000.00 (चार लाख चार हजार रूपये मात्र)**

उपावंटित राशि की निकासी राज्यादेश संख्या 16 दिनांक 11.09.2014 में निहित अनुदेश के आलोक करना सुनिश्चित करें।

उपावंटित राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र संख्या – एम0–4–05/98–2561 वि(2), दिनांक 17.04.1998 ,6720 दिनांक 25.07.2014 में निहित निर्देश के आलोक में करना सुनिश्चित करें।

उपावंटित राशि की निकासी करते समय प्रस्तुत किये गये विपत्र पर वित्तीय वर्ष 2014–15 में मांग संख्या 16 एवं विपत्र कोड सं0–पी02515001980105 एवं योजना मुख्यशीर्ष–2515–अन्य विकास कार्यक्रम–उप मुख्यशीर्ष–00–लघुशीर्ष–198–ग्राम पंचायतों को सहायता–उप शीर्ष–0105–ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता हेतु के अन्तर्गत विषय शीर्ष–3106–सहायक अनुदान–वेतनादि के अलावा करना सुनिश्चित करें, साथ ही राशि की निकासी कर बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम 270 के अनुसार बी0टी0सी0 फार्म 42 में करना सुनिश्चित करें।

उपावंटित राशि की निकासी वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल एवं अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन करते हुए व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखना सुनिश्चित करें।

उपावंटित राशि को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाय साथ ही राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी के स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में किया जाय, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

उपावंटित राशि की निकासी करते समय प्रस्तुत किये गये विपत्र पर मुख्य शीर्ष / लघु शीर्ष / उप शीर्ष / प्राथमिक ईकाई आदि का स्पष्ट मोहर, ईकाईयों का कोड, विपत्र संख्या एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित करना सुनिश्चित करें साथ ही राशि की निकासी कर व्यय किये गये राशि का लेखा संधारण महालेखाकार से कराना सुनिश्चित करें।

उपावंटित राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक 7355, दिनांक 05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार कार्यालय से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। उपावंटित राशि से राशि की निकासी करना सुनिश्चित करें।

उपावंटित की जा रही राशि की निकासी दिनांक 17.11.2014 तक पूर्ण रूपेण करते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र बी0टी0सी0 फार्म 42 में तीन प्रतियों में साक्ष्य के साथ दिनांक 18.11.2014 तक निश्चित रूप से जिला पंचायत कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

ह0/-

जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक– संचिका संख्या–06–05/2014 639/पं0, दिनांक 20/10/2014

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुंगेर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– उप विकास आयुक्त, मुंगेर/अनुमंडल पदाधिकारी, सदर मुंगेर/तारापुर एवं खड़गपुर/जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर/आई0टी0 मैनेजर, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आई0टी0 मैनेजर, मुंगेर को निर्देश दिया जाता है कि उक्त आवंटन को मुंगेर वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

(हस्ताक्षर) 20/10/14

जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
मुंगेर।